अध्याय-II

बिक्री, व्यापार आदि पर कर

अध्याय-।।: बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्यवर्द्धित कर और केन्द्रीय बिक्री कर का आरोपण और संग्रहण झारखण्ड मूल्यवर्धित कर (झा.मू.व.क.) अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा शासित होते हैं। वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.) के सचिव-सह-आयुक्त वाणिज्यकर इन अधिनियमों और नियमों के प्रशासन के लिये उत्तरदायी हैं और उन्हें वाणिज्यकर के अपर आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त (वा.क.सं.आ.), वाणिज्यकर के अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.), निगरानी एवं अनुश्रवण के संयुक्त आयुक्तों के साथ वाणिज्यकर के अन्य उप/सहायक आयुक्तों का सहयोग प्राप्त होता है।

विभाग का संगठनात्मक ढाँचा इस प्रकार है:

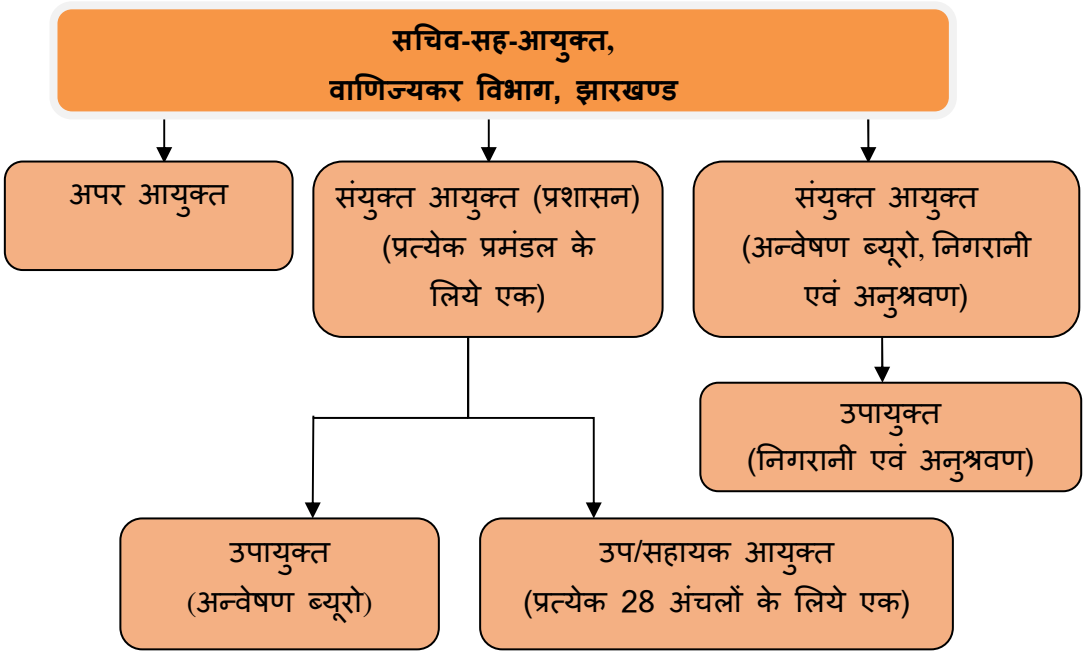

राज्य पाँच वाणिज्यकर प्रमंडलों[1] में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक के प्रभारी संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) होते हैं एवं 28 अंचलों[2] में विभाजित है जिसमें प्रत्येक के प्रभारी वाणिज्यकर उपायुक्त/सहायक आयुक्त (वा.क.उ./वा.क.स.आ.) होते हैं। अंचल के वा.क.उ./वा.क.स.आ. जिन्हें वाणिज्यकर पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है, सरकार को देय कर का आरोपण और संग्रहण के अलावे सर्वेक्षण के लिये भी उत्तरदायी हैं। वा.क.सं.आ. (प्रशासन) को सहयोग करने के लिये प्रत्येक प्रमंडल में

---

1 धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

2 आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नगरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नगरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

अ.ब्यू. के एक उपायुक्त पदस्थापित होते हैं तथा मुख्यालय के नियंत्रण में प्रत्येक प्रमंडल मे एक वा.क.उ. (निगरानी एवं अनुश्रवण) पदस्थापित होते हैं।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

- **वस्तु एवं सेवा कर (व.से.क.) डेटाबेस में अभिगम**

व.से.क. के कार्यान्वयन के लिये सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म की शुरुआत के साथ, लेखापरीक्षा के लिये व.से.क.ने. के सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली एवं इसके आँकड़ों तक पहुँच आवश्यक हो जाती है ताकि प्रणाली की मजबूती के बारे में आश्वस्त हुआ जा सके। व.से.क.ने. के सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली एवं इसके आँकड़ों तक पूरी पहुंच के लिये नि.म.ले.प. की आवश्यकता के संबंध में, व.से.क.ने. ने नि.म.ले.प. की टीमों के लिये लॉग-इन प्रमाण-पत्र बनाने के लिये भारत सरकार को सिफारिश की थी (अक्टूबर 2016)। अप्रैल 2018 में वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ आँकड़ों के हस्तांतरण, उपयोग और संचयन प्रोटोकॉल (डी.टी.यू.एस.पी.) पर हस्ताक्षर किये गये थे। हालांकि, कई अनुरोधों और अनुस्मारकों के बावजूद व.से.क. आँकड़ों तक पहुंच हेतु यूजर आई.डी. और पासवर्ड, नवंबर 2019 तक प्रदान नहीं किये गये थे।

विभाग ने कहा (मई 2019) कि आँकड़ों तक अभिगम हेतु दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं का पालन करने के सम्बन्ध में व.से.क. परिषद से 29 अप्रैल 2019 को स्पष्टीकरण मांगी गयी है ताकि अन्य राज्यों के साथ एकरूपता बनायी रखी जा सके।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नि.म.ले.प. के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 18 नि.म.ले.प. को, वैसे किसी भी अभिलेख, खातों और अन्य दस्तावेजों, जो उसकी जाँच के लिये प्रासंगिक हो, तक अभिगम के लिये अधिदेश प्रदान करता है। तदन्तर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक राज्य एवं भारत के संचित निधि में देय सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करना नि.म.ले.प. का कर्तव्य है। इस प्रकार, नि.म.ले.प. को व.से.क. आँकड़ों तक अभिगम प्रदान नहीं करना नि.म.ले.प. के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम, के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह तथ्य कि कुछ अन्य राज्यों जैसे कि, बिहार एवं छत्तीसगढ़ ने लेखापरीक्षा के साथ व.से.क. आँकड़ों को साझा करना शुरू कर दिया है, यह दर्शाता है कि आँकड़ों को साझा करने हेतु व.से.क. परिषद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी।

- **वर्ष 2017-18 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा**

2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने वाणिज्यकर विभाग की लेखापरीक्षा योग्य 44 इकाइयों में से आठ[3] इकाइयों (18 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान राज्य में कुल 2,28,771 करदाता निबंधित थे

[3] वा.क.उ.का कार्यालय, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, कोडरमा, पलामू, राँची पूर्व, राँची विशेष, सिंहभूम और तेनुघाट।

जिनमें से 38,166 करदाता नमूना जाँच इकाइयों में निबंधित थे तथा लेखापरीक्षा ने 800 कर-निर्धारण अभिलेखों की जाँच की। विभाग ने 2016-17 के दौरान ₹ 10,549.25 करोड़ के राजस्व का संग्रहण किया जिनमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 2,521.75 करोड़ (24 प्रतिशत) के राजस्व का संग्रहण किया। लेखापरीक्षा ने 182 मामलों में ₹ 187.67 करोड़ के अनियमितताओं की पहचान की, जैसा कि **तालिका-2.1** में वर्णित है :

तालिका 2.1

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	आवर्त के छिपाव के कारण कर का अनारोपण/अल्पारोपण	50	120.53
2	कर से छूट की अनियमित अनुमति	34	26.44
3	ब्याज का अनारोपण/अल्पारोपण	35	18.44
4	कर के गलत दरों का अनुप्रयोग	12	7.35
5	आवर्त के गलत निर्धारण के कारण कर का अनारोपण/अल्पारोपण	10	3.41
6	इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति	20	0.57
7	अर्थदंड का अनारोपण/अल्पारोपण	4	5.24
8	अन्य मामलें	17	5.69
कुल		**182**	**187.67**

विभाग ने (2017-18 एवं 2018-19 के मध्य) 30 मामलों में ₹ 15.82 करोड़ के कर का अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें से नौ मामलों में ₹ 15.48 करोड़ वर्ष 2017-18 में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे, तथा इस दौरान 17 मामलों में ₹ 31.12 लाख की राशि वसूली की गयी।

इस अध्याय में ₹ 15.48 करोड़ के नौ मामले में अनियमितताओं को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से कुछ अनियमिततायें जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान बारम्बार प्रतिवेदित की गयी हैं, **तालिका-2.2** में वर्णित हैं।

तालिका-2.2

(₹ करोड़ में)

अवलोकनों की प्रकृति	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		कुल	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
अस्वीकृत छूटों/ रियायतों पर ब्याज का अनारोपण	13	5.64	46	60.02	52	72.58	19	119.92	62	142.00	192	400.16
ब्याज का अनारोपण	8	4.15	10	17.71	17	60.73	15	53.14	-	-	50	135.73
क्रय/विक्रय आवर्त का छिपाया जाना	28	245.11	44	222.28	69	169.03	18	284.10	108	405.37	267	1,325.89

अनियमितताओं की पुनरावृत्ति प्रकृति यह स्पष्ट करती है कि राज्य सरकार एवं वाणिज्यकर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष प्रति वर्ष इंगित की गयी अनियमितताओं को दूर करने के लिये कोई उपाय नहीं किया है।

2.3 अस्वीकृत छूटों/रियायतों पर ब्याज का अनारोपण

कर निर्धारण प्राधिकारी (क.नि.प्रा.) ने ₹ 95.01 करोड़ के छुट, रियायत या इनपुट टैक्स क्रेडिट (इ.टै.क्रे) के गलत समायोजन के अस्वीकृत दावों पर कर का अधिरोपण किया। तथापि, ₹ 10.45 करोड़ के ब्याज़ का आरोपण नहीं किया गया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, या उनके नियमावली के अंतर्गत, आवश्यक साक्ष्य से समर्थित नहीं होने के कारण, अस्वीकृत इ.टै.क्रे., छूटों, कटौतियाँ तथा कोई अन्य छूट/रियायतों पर ब्याज लगाने का प्रावधान करता है। तदन्तर, अधिनियम अतिरिक्त निर्धारित कर के भुगतान में विलंब होने पर विलंब होने की तिथि से जब तक विलंब हो प्रति माह दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा ने कोडरमा एवं सिंहभूम वाणिज्यकर अंचलों में 1,866 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों में से 200 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना-जाँच की (अक्टूबर 2017 एवं जनवरी 2018 के मध्य) और पाया कि हालाँकि, क.नि.प्रा. ने छः व्यवसायियों के वर्ष 2013-14 के मामलों में छुट, रियायत या इ.टै.क्रे. के गलत समायोजन के ₹ 95.01 करोड़ के दावों को अस्वीकृत किये (जनवरी एवं मार्च 2017 के मध्य), परन्तु क.नि.प्रा. इन अस्वीकृत दावों पर ₹ 10.45 करोड़ के दंडात्मक ब्याज को लगाने में विफल रहे। यह देखा गया कि कर निर्धारण के दौरान छुट, रियायत या इ.टै.क्रे. के गलत समायोजन के अस्वीकृत दावों पर ब्याज का आरोपण समान रूप से दोनों अंचलों में नहीं किया जा रहा है।

मामले को इंगित किये जाने (अक्टूबर 2017 एवं जनवरी 2018 के मध्य) पर क.नि.प्रा. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं पाँच मामलों में ₹ 9.71 करोड़ के अतिरिक्त माँग सृजन किये (सितम्बर 2018 एवं जुलाई 2019 के मध्य)। राशि की वसूली से संबंधित सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी 2020)।

मामले सरकार को जून 2018 एवं जुलाई 2019 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनका प्रत्युतर प्रतीक्षित है (फरवरी 2020)।

2.4 आवर्त बढ़ाये जाने के कारण अतिरिक्त निर्धारित कर पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

क.नि.प्रा. ने क्रय आवर्त छिपाये जाने के कारण दो व्यवसायियों के आवर्त को बढ़ाया एवं ₹ 2.25 करोड़ का अतिरिक्त कर अधिरोपित किया, परन्तु ₹ 3.93 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 40 (2) के प्रावधानों के अनुसार, यदि विहित प्राधिकारी किसी कार्यवाही के दौरान या किसी सूचना के आधार पर, कर-निर्धारण से पूर्व या अन्यथा, यह संतुष्ट है कि, निबंधित व्यवसायी ने किसी भी क्रय या विक्रय

को छुपाया है, तो वह निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के उपरांत, छुपे हुए आवर्त पर निर्धारित अतिरिक्त कर के अलावा, ब्याज के रूप में कर निर्धारण की तिथि तक अतिरिक्त निर्धारित कर का पाँच प्रतिशत प्रत्येक माह की दर से भुगतान करने को निर्देशित करेगा।

लेखापरीक्षा ने राँची विशेष अंचल में 2,618 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों में से 125 व्यवसायियों के कर-निर्धारण अभिलेखों की नमूना-जाँच की (अक्टूबर एवं नवम्बर 2017 के मध्य) और पाया कि दो व्यवसायियों ने वर्ष 2013-14 के लिये अपना सकल आवर्त (स.आ.) ₹ 113.21 करोड़ घोषित करते हुए अपनी विवरणियाँ दाखिल की। क.नि.प्रा. ने इन व्यवसायियों के कर निर्धारण (मार्च 2017) के दौरान सुगम हरा[4] रोड अनुज्ञापत्र के आधार पर अंतर्राज्य वस्तुओं की खरीद एवं इनके व्यापार लेखा में लेखांकन के मिलान से उदघटित क्रय आवर्त के छिपाव के कारण सकल आवर्त को बढ़ा कर ₹ 129.98 करोड़ निर्धारित किया। क.नि.प्रा. ने छिपाये गये ₹ 16.77 करोड़ के आवर्त पर ₹ 2.25 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण किया। तथापि, क.नि.प्रा. द्वारा उक्त छिपाये गये क्रय पर आरोप्य पाँच प्रतिशत प्रति माह की दर से ₹ 3.93 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं किया गया।

मामले को इंगित किये जाने (अक्टूबर एवं नवम्बर 2017 के मध्य) पर क.नि.प्रा. ने सम्पूर्ण अवलोकित राशि का अतिरिक्त माँग सृजन किया (जुलाई एवं अगस्त 2018 के मध्य)। राशि की वसूली से संबंधित सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी 2020)।

मामले सरकार को जून 2018 एवं जुलाई 2019 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनका प्रत्युतर प्रतीक्षित है (फरवरी 2020)।

2.5 क्रय आवर्त का छिपाया जाना

क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण के दौरान विवरणियों की तिर्यक जांच प्रपत्र 'सी' के उपयोग एवं क्रय विवरणी से नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम, क.नि.प्रा. को व्यवसायियों द्वारा आवर्त को छिपाये जाने पर, निर्धारित कर की दुगुनी राशि (जुलाई 2014, से बढाकर तिगुनी) के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करने का अधिकार प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने राँची विशेष वाणिज्यकर अंचल में 2,618 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों में से 125 व्यवसायियों के कर-निर्धारण अभिलेखों की नमूना-जाँच की (नवम्बर 2017) और पाया कि एक व्यवसायी ने वर्ष 2013-14 के दौरान दाखिल विवरणियों एवं प्रपत्र झा.मू.व.क. 409 में लेखापरीक्षित मूल्य वर्धित कर प्रतिवेदन, जिनके आधार पर कर निर्धारण संपन्न किया गया, के द्वारा करयोग्य वस्तुओं का

[4] झारखण्ड राज्य के बाहर से झारखण्ड राज्य में माल के परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले ऑनलाइन सृजित घोषणा पत्र।

अंतर्राज्य क्रय ₹ 8.70 करोड़ प्रदर्शित किया। उपयोग किये गये प्रपत्र 'सी' में घोषणा प्रपत्रों की जाँच से यह पता चला कि व्यवसायी ने वास्तव में 39 संख्या प्रपत्र 'सी' का उपयोग कर ₹ 16.03 करोड़ के वस्तुओं का अंतरराज्यीय क्रय किया था। परिणामस्वरूप ₹ 7.33 करोड़ के आवर्त के छिपाव का पता नहीं लग पाया, जिसके फलस्वरूप ₹ 73.31 लाख के अर्थदण्ड सहित ₹ 1.10 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इससे पता चलता है कि क.नि.प्रा. ने संबंधित निर्धारिती के अभिलेख में उपलब्ध प्रासंगिक जानकारी के साथ विवरणियों को तिर्यक जाँच करने के वा.क.वि. के आदेशों का अनुपालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप समान अनियमितताओं की पुनरावृति हुई।

मामले को इंगित किये जाने (नवम्बर 2017) पर क.नि.प्रा. ने सम्पूर्ण अवलोकित राशि का अतिरिक्त माँग सृजन किया (जुलाई 2018)। राशि की वसूली से संबंधित सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी 2020)।

मामले सरकार को जून 2018 एवं जुलाई 2019 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनका प्रत्युतर प्रतीक्षित है (फरवरी 2020)।